बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–3 / अ0प्र0–1–30 / 2023 33 / पटना, दिनांक :– 3.7.24

श्री सुभाष कुमार, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध 1,15,46,212/–रू0 (एक करोड़ पंद्रह लाख छियालिस हजार दो सौ बारह रूपये) के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–004/2023, दिनांक–19.01.23 धारा–13(2)सह–पठित धारा–13(1)(बी) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किये जाने के मामले में मुख्य अभियंता–3 के कार्यालय के पत्रांक–894 दिनांक–17.02.2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक–21.02.2023 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप मुख्य अभियंता–3 के कार्यालय का आदेश सं0 15–सह पठित ज्ञापांक 956 दिनांक 21.02.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क) के तहत श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. विषयगत मामले में उपलब्ध कागजातों/साक्ष्यों के आधार पर श्री सुभाष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर पत्रांक–1575 दिनांक–24.03.2023 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। अतएव मामले की गहन/विस्तृत जॉच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः श्री सुभाष कुमार, तदेन उच्चवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधुबनी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा डॉ0 फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।**

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3 / अ0प्र0–1–30 / 2023 / पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– आरोप पत्र/साक्ष्य एवं संगत कागजात की प्रति के साथ मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—30/2023 /पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री डॉ0 फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुभाष कुमार, तदेन उच्चवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधुबनी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय—अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :— यथोक्त।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—30/2023 1985 /पटना, दिनांक :— 3-7-24

प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव